Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 54 / 2024

श्री महेन्द्र सिंह
निवासी– लेन नं0 सी–15 / 11
बम्मी मंदिर मार्ग, टर्नर रोड़,
क्लेमेनटाउन, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 29.01.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके गलत मीटर रीडिंग के कारण अत्यधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

महेन्द्र सिंह, पता लेन नं0 C–15 / 11, बम्मी मंदिर मार्ग, टर्नर रोड, क्लेमेंटटाउन, देहरादून है। धटनाक्रम का विवरण इस प्रकार से है:–

1. दिनांक 15 मई 2024 में मुझे 70 दिन का बिजली का बिल प्राप्त हुआ, जो कि दिनांक 07 मार्च 2024 से लेकर दिनांक 16 मई 2024 का था, जिसमें रीडिंग 40861, यूनिट खपत 1220 यूनिट दी गई थी एवं जिसकी भुगतान राशि रू0 6350 देय थी। महादेय मेरी हर महीने की औसत यूनिट खपत 250 से 300 यूनिट रहती है इस हिसाब से 70 दिन का बिल 500 से 600 यूनिट के आस पास आना चाहिए था परंतु यह बिल 1220 की खपत

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

दिखा रहा था जो कि गतल था। इसके उपरांत मैने मीटर में रीडिंग चेक करनी चाही तो पाया की मीटर की डिस्पले में कुछ भी नहीं दिख रहा है। दो दिन की कोशिश बाद भी न दिन में और न ही रात में मीटर डिस्प्ले में कुछ भी नजर नहीं आने के बाद मैने गलत बिजली बिल और खराब मीटर की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया।

2. दिनांक 19 मई 2024 को मैने गलत बिजली बिल और खराब मीटर की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, जहॉ मुझे जानकारी दी गई की ऑनलाइन शिकायत (शिकायत संख्या 21905240335) दर्ज करा ली गई है और बिजली ऑफिस में जाकर मिलने की सलाह दी गई।
3. दिनांक 20 मई 2024 में मैं आई.एस.बी.टी. के समीप स्थित बिजली ऑफिस जो की हमारे एरिया की विंद्युत आपूर्ति का कार्य देखते हैं, में जा कर मिला जहां मुझे श्री यशवंत जी (जो कि मीटर रीडिंग एण्ड बिल का कार्य देखते हैं) से बिल से संबंधित समस्या के बारे में बात करने के लिए कहा गया।
4. तदोप्रांत मैंने यशवंत जी एवं हिमांशु जी दोनों से बिजली बिल एवं मीटर के डिस्प्ले में कुछ न दिखाई देने की समस्या के बारे में बात की, जानकारी में उन्होंने बताया की इस समस्या के समाधान हेतु उन्हें घर आकर मीटर चैक करना होगा तथा गलत बिजली बिल एवं मीटर के डिस्प्ले से जुडी समस्या का समाधान हो जाने की बात कही।
5. निरंतर अनुरोधो के बाद दिनांक 23 मई 2024 की शाम में श्री यशवंत जी स्वंय फोन करके मीटर चैक करने आए जिसमें उन्होंने पाया की मीटर डिस्प्ले में कुछ नहीं दिख रहा है जिसके बाद उन्होंने मीटर के ऊपर लगे प्लास्टिक कवर को खोल के किसी प्रकार मीटर डिस्प्ले चैक किया गया और हमें बताया की मीटर के अनुसार

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

बिल की रीडिंग तकरीबन 600 प्लस यूनिट ज्यादा ले ली गयी है और उन्होंने करेक्शन के लिए ऑफिस में सही मीटर रीडिंग भेज दी है कह कर चले गए।

6. इसके बाद निरन्तर यशवंत जी एवं हिमांशु जी से फोन द्वारा संपर्क साध के बिल के कब तक सही हो कर आने के बारे में पूछने पर हिमांशु जी ने बताया की सही मीटर रीडिंग नए बिल में करेक्ट हो कर आ जाएगा और आप ऑनलाइन चैक कर लेना। परंतु जब जून के पहले हफ्ते के बाद भी नया बिल नहीं आया और मैंने अपनी ऑनलाइन कम्पलैन्ट जो कि 19 मई 2024 को दर्ज करायी थी का अपडेट लेने के लिए कस्टमर केयर में काल की तो पाया की न तो बिल में कोई करेक्शन हुआ था एवं जो शिकायत मैंने बिल के गलत होने और मीटर के डिस्प्ले के खराब होने को लेकर 19 मई 2024 को दर्ज कराई थी वह मात्र मीटर के खराब होने की गई थी। जिसके बाद मैने कस्टमर केयर अधिकारी से बिल गलत होने की शिकायत अलग से दर्ज करने की बात कहीं एवं अधिकारी ने दिनांक 06 जून 2024 में बिजली का बिल गलत होने की शिकायत दर्ज की (शिकायत सं0 20606240826)

7. इसके बाद नये बिल आने के इंतजार किया ताकि सही रीडिंग और सही यूनिट के हिसाब से बिल का भुगतान शीध्रता के साथ किया जा सके। इस अंतराल में दिनांक 15 जून 2024 को विद्युत विभाग से दो अधिकारी नये मीटर लगाने आए, नये मीटर लगने के बाद पुराने मीटर को उतार कर चला के उसकी रीडिंग जब उन्होने नोट करनी चाही तो मीटर ने तब भी कोई रीडिंग नहीं दिखाई, उन्होंने मीटर को पॉलिथीन में बॉध कर लगभग 15–20 मिनट तक फ्रिज में रखवाया परंतु उनके अथक प्रयास करने के बाद भी मीटर ने रीडिंग नहीं दिखाई, पूछने पर उन्होंने बताया की ये मीटर अब लैब में चैक होगा वहीं इसकी आखरी रीडिंग पता चलेगी और जैसा भी होगा आपके नए बिल में अडजस्ट होकर आ जाएगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

8. इस सब प्रकिया के बाद उपभोक्ता नए बिल के इंतजार में थे की कब नया बिल करेक्ट हो कर आए और वह भुगतान करें। परंतु इतने प्रयासों और इंतजार के बाद दिनांक 18 जुलाई 2024 को नया बिल रू0 11305 का प्राप्त हुआ है जिसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है । नये मीटर की रीडिंग 378 आई है परंतु बिल 812 यूनिट का बनाया गया है जो की वर्तमान मीटर की रीडिंग से 434 यूनिट अतिरिक्त है।
9. मान्यवर उपभोक्ता के अथक प्रयासों और दो महीनों के इंतजार के बावजूद उपरोक्त अधिकारियों के स्तर पर समस्या का सही से निराकरण न होने के कारण उपभोक्ता पत्र के माध्यम से आपके समक्ष विद्युत उपभोक्. शिकासत निवारण मंच, ऊर्जा भवन आना पड़ा।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 449, दिनांकित 07/08/2024 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 54/2024 श्री महेन्द्र सिंह, निवासी– लेन नं0–सर–15/11, बम्मी मंदिर टर्नर रोड, क्लेमेन्टाउन बनाम उपाकालि वाद के सम्बन्ध में अवगत करान है कि आवेदक द्वारा अपने विद्युत संयोजन सं0–SD25518124623 के सापेक्ष माह मई में बिल अधिक आने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता को बिल रीडिंग के आधार पर ही प्रेषित किया गया है, साथ ही पत्रांक सं0 527 दिनांकित 07.09.2024 के द्वारा मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर से बदले गये मापक की एम0आर0आई रिर्पोट निकालना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि उपभोक्ता का माह मई का बिल मापक की वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही प्रेषित किया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि परिवादी को दिनांक 08.03.2024 से मीटर बदले जाने की तिथि 15.06.2024 अर्थात 100 दिनों मे

02कि0वा0 के स्वीकृत भार पर 1654 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है। विपक्षी के अनुसार परिवादी द्वारा उक्त अवधि में 16.54 यूनिट प्रतिदिन की खपत की गई है। मंच द्वारा विपक्षी को उक्त विवादित खपत को तकनीकी रूप से साबित करने हेतु एम0आर0आई0 प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु विपक्षी द्वारा उक्त विवादित खपत को तकनीकी रूप से एम0आर0आई0 सहित प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। बिना तकनीकी प्रमाण के 02 कि0वा0 स्वीकृत भार पर 16.54 यूनिट प्रतिदिन की खपत को मंच स्वीकार नही कर सकता है।

पत्रावली परउपलब्ध हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के आधार पर बिल दिये जाते रहे है, परन्तु एकाएक बिल चक्र में परिवादी को उनकी वास्तविक खपत से अधिक का बिल प्रेषित किया गया है, जिस पर परिवादी को आपत्ति है क्योंकि उनमें इतनी अधिक खपत न पूर्व में कभी रही है न ही विद्युत मीटर बदल जाने के बाद। उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा उपरोक्त विवादित खपत को तकनीकि रूप से साबित करने में नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को प्रेषित बिल दिनांक 08/03/2024 से मीटर बदले जाने की तिथि 15/06/2024 तक के विद्युत बिल निरस्त कर उक्त अवधि के बिल पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत कमशः 02/2024, 01/2024 एवं 12/2023 (205 +311+212/3 = 242.66 यूनिट) प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है परिवादी को प्रेषित बिल दिनांक 08/03/2024 से मीटर बदले जाने की तिथि 15/06/2024 तक के बिल निरस्त कर उक्त अवधि के विद्युंत बिलों को पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत कमशः 02/2024, 01/2024 एवं 12/2023 (205 +311+212/3 = 242.66 यूनिट) के आधार

पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/01/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29.01.2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 56 / 2024

श्री अमृत पाल सिंह
निवासी– 704, देहराखास, टी.एच.डी.सी. बस्ती
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 29.01.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding seeking reduction of over assessed bill and damages.

The Complaint submits and praysas under:-

1- That the complainant Mr. Amrit Pal Singh is the tenant in possession of a commercial property bearing Shop No. 62, Gandhi Road, Dehradun, and whereas the electricity connection of the above property is registered in the name of Late Shri Darshan Singh vide Account No. CD6745802605 .

2- That Since the last year or even more the monthly electricity bill of the complainant has ranged between Rs. 600/- to Rs 1200/- per month approximately.

3- That in month of May, 2024, the complainant was served a bill of Rs. 27,003/- out of which Rs. 2604/- was carried over as due from the month of april, 2024 and whereas the bill served upon him for the month of May, 2024 stood at Rs. 24,399/-

4- That thereafter the complainant went to his area electricity office and told his grievance, the same was heard and the authorities also placed a check meter on 04/07/2024 but even thereafter the department personnel could not detect the cause for such overbilling and at last concluded that your meter must have tripped but even so, you will have to pay the bill hence not remedy could be availed therefrom. Hence this complaint.

5- That the cause of Action arose in favour complainant 14-05-2024., when the complainant was first served with a highly excessive bill of Rs. 24,399/- and even after multiple requests not attended by the respondents.

6- That this Honble forum has the jurisdiction to preside over and adjudicate the matter.

7- That requisite fee for the matter is being field herewith.

8- That therefore the above complainant humbly seeks the following reliefs:

   a. The excessive bill leveled against the complainant be ordered to be set aside.

   b. An amount of Rs. 10000/- be directed to be provided by the Respondents to the complainant towards his cost of litigation, legal fee and his harassment by the authorities together with interest at market rates.

c. Any other relief which this hon'ble forum, deems just and expedient to pass in favour of the complainant.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 414, दिनांकित 07/08/2024 से मंच को अवगत कराया है कि अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक सं0–3324 दिनांक 31.07.2024 एवं आपके पत्रांक सं0 137 उ0शि0नि0मं0/ग0क्षे0/फोरम दिनांक 26.07.2024 कि इस मंच के समक्ष परिवाद संख्या 56/2024 श्री अमृत पाल सिंह, निवासी–704, देहराखास,टी.डी.एस.डी.सी. बस्ती, देहरादून ने अपने शिकायत पत्र में कहा है कि उपभोक्ता श्री प्रीत पाल सिंह, संयोजन सं0 CD67458020606 का विद्युत बिल मई, 2024 को रू0 27003–/ का निर्गत हुआ है। जबकि शिकायतकर्ता द्वारा जो विद्युत संयेाजन सं0 दर्शाया गया है, उस विद्युत संयोजन के लेजर में देख कर पाया गया कि उपभोक्ता का विद्युत बिल मई, 2024 को रू0 5367–/ का है, तथा सभी विद्युत बिल समय से मीटर रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किये जा रहें हैं, साथ ही विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या 448 दिनांकित 03.09.2024 से अवगत कराया गया है कि श्री अमृत पाल सिंह, संयोजन सं0 CD67458020606 की अवर अभियन्ता द्वारा स्थाई निरीक्षण करवाने पर पाया गया कि उपभोक्ता की मीटर रीडिंग सही पाई गयी है और सहायक अभियन्ता, विद्युत परीक्षणशाला (के0) द्वारा अपने पत्रांक सं0 167/न0वि0प0शा0 (के0)/उपाकालि दिनांक 31.08.2024 में अवगत कराया गया कि संयोजन सं0 CD67458020606 के परिसर पर स्थापित मीटर सं0 EL7033 Comet Make का है, जिसकी एम0आर0आई0 किया जाना संभव नही है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को 11.04.2024 से 14.05.2024 अर्थात् 34 दिनों में 1 कि0वा0 स्वीकृत भार पर

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

3166 यूनिट की विद्युत खपत दर्शायी गयी है। विपक्षी के अनुसार परिवादी द्वारा उक्त अवधि में 93.11 अर्थात 93 यूनिट प्रतिदिन की खपत की गयी है। मंच द्वार विपक्षी से जब उक्त खपत को तथ्यों/प्रमाण सहित प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तो मंच को अवगत कराया गया कि संयोजन सं0 CD67458020605 के परिसर पर स्थापित मीटर सं0 EL7033 Comet Make का है जिसकी एम0आर0आई किया जाना सम्भव नही है इस प्रंकार विपक्षी 93 यूनिट प्रतिदिन की खपत को प्रमाण सहित प्रस्तुत कराने में नाकाम रहा है, 01 कि0वा0 स्वीकृत भार पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी 93 यूनिट प्रतिदिन की खपत को मंच स्वीकार नही कर सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के आधार पर बिल प्रेषित किये गये, परन्तु एकाएक बिल चक्र 05/2024 को एक ही बिल चक्र में 3166 यूनिट की विद्युत खपत को दर्शाया गया है जो कि मंच के मत में सम्भव नही है। विपक्षी द्वारा उक्त खपत को तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 14.05.2024 को प्रेषित विद्युत बिल को निरस्त कर उक्त विद्युत बिल को पूर्व की तीन बिल चकों की औसत खपत 04/2024, 03/2024 एवं 02/2024 क्रमशः (118+ 88 + 103 /3 = 103 यूनिट) प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 14.05.2024 को प्रेषित विद्युत बिल को निरस्त कर उक्त विद्युत बिल को पूर्व के तीन बिल चकों की औसत खपत 04/2024, 03/2024 एवं 02/2024 कमशः (118+ 88 + 103 /3 = 103 यूनिट) प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/01/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29.01.2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 57 / 2024

श्री इंदर सिंह
निवासी– 24 इंदरा नगर
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

दिनांक: 28.01..2025

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding exess amount of billing. The Complainant submits and prayer is made below:-

"That the Vasant Vihar Unit of UPCl has not been taking meter reading regularly and issuing the bills as per their wish and will. I was regularly paying paying my bills since 2017 onwards without any delay on my part. I have paid my May and June bills for Rs 16,540 and Rs 12,305 but the UPCl has suddenly issued me a bill of Rs. 54,228.51 for the month of June & July 2024 which is highly unexpected and reveals the functioning of Vasant Vihar unit.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

I have represented against the said negligence on their part but, they did not listen and the issue is still pending unresolved. I have not paid the bill yet, waiting for the resolution of my grievance".

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 636, दिनांकित 12/08/2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्री इंदर सिंह के शिकायती पत्र मे मीटर रीडिंग से सम्बन्धित तथ्य इंगित किये गये है, अतः इस कार्यालय के पत्र संख्या 584/वि.वि.ख. वंसत विहार/मीटर दिन 02.08.2024 द्वारा सहायक अभियन्ता–मीटर, विद्युत परीक्षण शाला, (दक्षिण), देहरादून से परिवादी के परिसर पर स्थापित मीटर संख्या 18645980 के जम्प होने की जांच कर एम0आर0आई0 रिर्पोट आख्या सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में सहायक अभियन्ता मीटर विद्युत परीक्षणशाला (दक्षिण), देहरादून द्वारा ई–मेल के माध्यम से एम0आर0आई0 रिर्पोट उपलब्ध कराई गई। उपरोक्त वाद संख्या 57/2024 के सम्बन्ध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र दिनांक 12.08.2024 के माध्यम से निम्न लिखित अभिलेख प्रस्तुत किये तथा अपनी आख्या से मंच को बिन्दुवत् अवगत कराया –

1. उपभोक्ता के विद्युत संयोजन सं0 SD66336187032 की कंम्पयूटर जनित हिस्ट्री (संलग्नक–A).
2. सहायक अभियन्ता –मीटर, विद्युत परीक्षण शाला (दक्षिण), देहरादून को प्रेषित पत्र सं0 584/वि0वि0ख0वंसतविहार/मीटर दिनांक 02.08.2024 की छायाप्रति (संलग्नक–B)
3. उपभोक्ता के विद्युत संयोजन सं0 SD66336187032 पर स्थापित मीटर संख्या 18645980 के संबंध में सहायक अभियन्ता–मीटर, विद्युत परीक्षण शाला (दक्षिण), देहरादून द्वारा प्रेषित एम0आर0आई0 रिर्पोट की छायाप्रति (संलग्नक–C)
4. फर्म मै0 टी0डी0एस0 के मीटर रीडर के उत्तर की छायाप्रति (संलग्नक–D)

2|

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

1. सक्ष्यों के अनुसार तथ्य एवं आख्या

उपभोक्ता का बिलिंग विवरण:–

मार्च 2024 का बिल – मीटर्ड यूनिट में

अप्रैल 2024 का बिल – NR में

मई 2024 का बिल – NR में

जून 2024 का बिल – मीटर्ड यूनिट में

2. संलग्न उपभोक्ता हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 20.03.2024 को मीटर रीडिंग 72651 थी।
3. दिनांक 26.06.2024 को मीटर रीडिंग 80103 KWH के अनुसार बिल संशोधित कर ठीक कर दिया गया है, जिसमें दिनांक 20.03.2024 (रीडिंग 72651 KWH) से दिनांक 26.06.2024 (रीडिंग 80103 KWH) तक 98 दिन का बिल कुल 7452 यूनिट का संशोधित किया गया जिसमें उपभोक्ता द्वारा जमा की गई धनराशि रू0 16081 + रू0 11846 समायोजित कर दी गयी है। एम0आर0आई रिर्पोट में भी दिनांक 27.06.2024 को रीडिंग 80182 KWH पाई गई है, जिससे स्पष्ट है कि मीटर की रीडिंग सही है।
4. उपभोक्ता के शिकायती पत्र दिनांक 08.07.2024 के सम्बन्ध में उपभोक्ता की मीटर रीडिंग नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में फर्म मै0 टी0डी0एस0 के मीटर रीडर से पूछा गया जिसके उत्तर में मीडर रीडर द्वारा परिवादी के गेट पर ताला लगे रहने की बात कही तथा माह अप्रैल व मई की रीडिंग गार्ड द्वारा ताला खोलने के पश्चात् ली जा सकी।
5. इस प्रकार उपभोक्ता का बिल संशोधन कर ठीक किया जा चुका है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध एम0आर0आई0 रिर्पोट से स्पष्ट है कि परिवादी को विवादित बिल चक्र में वास्तविक खपत के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये है जिसकी पुष्टि एम0आर0आई रिर्पोट से हो जाती है। एम0आर0आई0 रिर्पोट के अनुसार 06.08.2024 को परिवादी के विद्युत मापक की रीडिंग 83034.71 KWH थी एवं कंज्यूमर हिस्ट्री में 29.07.2024 को जो अन्तिम रीडिंग दर्शायी है वो 82495 KWH दर्शायी गई है जो 8 दिनों के अन्तर्गत की रीडिंग है उक्त बिलिंग चक्र में परिवादी की अधिकतम मांग भी क्रमशः 10 कि0वा0 एवं 14.24 कि0वा0 है। अतः इससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को उनकी वास्तविक खपत के आधार पर ही विद्युत बिल जारी किये गये है तथा इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है। इस परिस्थिति मे परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/01/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28.01.2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 62 / 2024

श्रीमती सुमन मिश्रा पत्नी बीरेन्द्र कुमार
निवासी– वि0डी0एम0 स्कूल रोड़, फतेहपुर ग्रान्ट
हर्बटपुर, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांकः 22.01..2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके अस्थाई विद्युत कनेक्शन हेतु जमा की गयी जमानत सिक्योरिटी धनराशि की शेष धनराशि वापस कराने के सम्बन्ध में वाद योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा विषयगत कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु रसीद संख्या 0576066 (3444505071111–2001 दिनांक 05.07.2021 के द्वारा रू0 1000.00 तथा रसीद संख्या 14446090721105990001 दिनांक 09.07.2021 के द्वारा रू0 12000.00 मात्र ऑनलाइन, विद्युत वितरण खण्ड हर्बटपुर, विकासनगर में जमा किये गये। प्रार्थी की पत्नी द्वारा जमानत सिक्योरिटी धनराशि को वापस किये जाने हेतु दिनांक 05.08.2023 को (मय अभिलेखीय साक्ष्यों के साथ) अनुरोध पत्र अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, विकासनगर देहरादून के

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री प्रदीप कुमार शर्मा जी द्वारा प्रार्थी की पत्नी के बैंक खाते में आधी जमानत सिक्योरिटी धनराशि वापस करायी गयी। जिसकी सूचना प्रार्थी के पत्नी को नहीं दी गयी। काफी समय व्यतीत होने पर प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित कार्यालय के एकाउन्टेट से सम्पर्क किया गया, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी की पत्नी के बैंक खाते में रू0 7350.00 मात्र ही दिनांक 08.12.2023 जमानत सिक्योरिटी धनराशि वापस की गयी है, जो नियम विरूद्ध है। प्रार्थी द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, विकासनगर , देहरादून के पद पर वर्तमान में तैनात श्री सक्सेना जी से भी शेष जमानत राशि को वापस किये जाने हेतु मौखिक अनुरोध किया गया। किन्तु उनके द्वारा शेष धनराशि को वापस किये जाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए उपभोक्ता फोरम कार्यालय में प्रार्थना पत्र देने का सुझाव दिया गया। यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा स्थाई कनेक्शन हेतु रू0 2200/– उपरोक्त के अतिरिक्त जमानत सिक्योरिटी धनराशि जमा की गयी है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए विषयगत कनेक्शन हेतु पूर्व में जमा की गयी जमानत सिक्योरिटी की शेष धनराशि को प्रार्थी की पत्नी को वापस कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता (वर्तमान) विद्युत वितर खण्ड, विकासनगर, देहरादून को निर्देश देने का कष्ट करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 3599 दिनांकित 11/09/2024 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 62/2024 श्रीमती सुमन मिश्रा पत्नी श्री विरेन्द्र कुमार मिश्रा, निवासी बी0डी0एम0 स्कूल

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

फतेहपुर ग्रान्ट, हरबर्टपुर के संदर्भ में अवगत कराना है कि परिवादिनी द्वारा अस्थायी संयोजन सं0 VN19999999110 में जमानत धनराशि रू0 12000.00 जमा करायी गयी थी। दिनांक 20.03.2003 को परिवादिनी को जमानत धनराशि रू0 7350.00 वापस कर दिये गये हैं।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के मूल शिकायत के संदर्भ में विपक्षी द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0 3735 दिनांक 18.09.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्रीमती सुमन मिश्रा, पत्नी श्री विरेन्द्र कुमार मिश्रा, बी0डी0एम0 स्कूल, फतेहपुर ग्रान्ट, हरबर्टपुर द्वारा विद्युत भार 01 कि0वा0 अस्थायी विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया, जिसका पंजीकरण संख्या 446050721001 है, जिसके सापेक्ष उपभोक्ता द्वारा कुल जमानत राशि रूपये 12000.00 दिनांक 09.07.2024 को जमा किये गये थे। अस्थायी विद्युत संयोजन संख्या VN19999999110 के स्थायी विच्छेदन के पश्चात् उपभोक्ता को कुल देय जमानत धनराशि रूपये 12257.00 के सापेक्ष 7350.00 वापिस किये गये थे। अतः उपभोक्ता शेष जमानत धनराशि रूपये 4907.00 + 369.00 (Interest) = 5276.00 उपभोक्ता को वापिस किये जाने आदेश पारित किये जा चुके है। पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को कुल जमा जमानत धनराशि रू0 12000.00 के सापेक्ष रू0 (7350 + 4907 + 369) 12,626 कुल ब्याज सहित वापिस की जा चुके है

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

जिसकी पुष्टि स्वयं परिवादी द्वारा अपने पत्र दिनांकित 30.09.2024 के द्वारा की जा चुकी है। परिवादी द्वारा दिनांक 30.09.2024 के पत्र में पूर्ण जमानत राशि वापिस किये जाने के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने के संबंध में आवदेन किया गया है। परिवादी द्वारा अपने मूल शिकायती पत्र में क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिसके कम में मंच का मत है कि वर्तमान आदेश में क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु कोई भी आदेश प्रदान किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित नहीं होगा।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

22.01.2025 22-01-2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 64/2024

श्री सुरेश थापा
निवासी– वाणी विहार,
रायपुर, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

दिनांक: 28.01.2025

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा हाईटेन्शन लाईन की तार/पोल गिरने से घर के विद्युत उपकरण जल जाने केसम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि दिनांक 23.07.2024 की रात्रि में भारी वर्षा के कारण हाईटेन्शन लाईन की तार/पोल गिरने से प्रार्थी के घर में धमाका हुआ जिसके कारण घर का मुख्य बिजली मीटर एवं बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जिसमें पंखा, फ्रिज,एम0सी0 बॉक्स, बल्ब एवं अन्य बिजली के बोर्ड आदि फुक गये जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.07.2024 को सुबह 8:30 बजे बिजली विभाग में दर्ज करा दी गयी जिसका शिकायती कमांक 22407240056 है। दिनांक 26.07.2024 को सांय 06:00 बजे बिजली विभाग के कर्मचारी प्रार्थी के घर में बिजली का मेन मीटर लगा गये परन्तु अन्य कार्य प्रार्थी को स्वंय करवाना पड़ा जिसमें प्रार्थी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को हुए नुकसान के मध्यनजर प्रार्थी को आर्थिक सहायता एवं हर्जाना दिलवाने की कृपा कीजिएगा।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 243, दिनांकित 04.09.2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्री सुरेश थापा, वाणी विहार, रायपुर देहरादून द्वारा मा0 मंच के समक्ष योजित परिवाद सं0 64/2024 के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 23.07.2024 की रात्रि को क्षेत्र में भारी वर्षा हुई। जिसके कारण दिनांक 24.07.2024 की प्रातः लगभग 04:05 बजे वाणी विहार के पास 06 नं0 पुलिया रिंग रोड से डील को आने वाली 33 के0वी0 लाईन का पोल भारी वर्षा एवं भूस्खलन के कारण गिर जाने के फलस्वरूप उक्त 33 के0वी0 लाईन टूट कर 11 के0वी0 आर्डिनेन्स फीडर के ऊपर गिर गई जिस कारण 33/11 के0वी0 उपसंस्थान सहस्त्रधारा रोड से पोषित 11 के0वी0 आर्डिनेन्स फीडर ट्रिप हो गया था तथा सम्बन्धित क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। सूचना मिलने पर क्षेत्रीय अवर अभियन्ता व स्टॉफ साईट पर गये। वाणी विहार व शांति विहार क्षेत्र के जम्पंर काटते हुये शेष क्षेत्र प्रातः लगभग 05:56 बजे चालू किया गया। प्रातः श्री सुरेश थापा के घर के विद्युत संयोजन का मीटर ऑनलाईन शिकायत कमांक 22407240056 के पश्चात लाईन स्टाफ श्री सुरेश थापा के घर पहुचे तो उन्होने पाया के श्री सुरेश थापा के धर के विद्युत संयोजन मीटर, केबल व मीटर ड्रिस्ट्रीब्यूशन बाक्स जला था (इस सम्बन्ध में अवर अभियन्ता की आख्या संलग्न है)। तत्पश्चात् उसी दिन स्टाफ द्वारा उनके विद्युत संयोजन की केबल बदल कर विद्युत संयोजन जोडा गया। क्योंकि उस स्थान पर उपरोक्त क्षतिग्रस्त विद्युत लाईन/पोल का मरम्मत कार्य दिनांक 24.07.2024 की सांय तक पूर्ण हो पाया था जिस कारण वाणी विहार क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति लगभग 17:53 बजे सुचारू होने के साथ ही श्री सुरेश थापा के घर की विद्युत आपूर्ति सुचारू हो पायी। तत्पश्चात् आनॅलाईन शिकायत के आधार पर मीटर कार्यालय द्वारा दिनांक 26.07.2024 को उक्त संयोजन पर मीटर स्थापित किया गया।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उक्त सम्बन्ध में मा0 मंच को सादर अवगत कराना है कि श्री सुरेश थापा के अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में किसी अन्य उपभोक्ता के मीटर अथवा घरेलू उपकरण क्षतिग्रस्त होने की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई। सम्भवतः श्री सुरेश थापा के घर की वाइरिंग की अर्थिंग न होने अथवा सही न होने के कारण घरेलू उपकरण क्षतिग्रस्त हुये होंगे। जिसके लिये विभाग को जिम्मेदार समझा जाना न्यायोचित नहीं होगा।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपनी उपरोक्त मूल शिकायत दिनांक 24.07.2024 को सुबह 8:30 बजे बिजली विभाग में दर्ज करा दी गयी थी जिसका शिकायती क्रमांक 22407240056 के क्रम में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने के में उक्त वाद योजित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी उपरोक्त विस्तृत आख्या के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया। विपक्षी की आख्या है कि श्री सुरेश थापा के अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में किसी अन्य उपभोक्ता के मीटर अथवा घरेलू उपकरण क्षतिग्रस्त होने की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई, सम्भवतः श्री सुरेश थापा के घर की वाइरिंग की अर्थिंग न होने अथवा सही न होने के कारण घरेलू उपकरण क्षतिग्रस्त हुये होंगे को मंच द्वारा संज्ञान लिया गया। उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच द्वारा मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission, Standard of Performance Regulations, ,2022** के विनियम **10 (1)** का संज्ञान लिया गया इस विनियम के अनुसार **"The Standards of Performance Specified in these Regulations shall remain suspended during Force-Majeure conditions such as war, mutiny, civil commotion, riot , flood, cyclone, avalanches,lightning,earthquake,pandemic,lockout,fire affectiong the Licensee's**

installations". उपरोक्त विनियम से स्पष्ट है कि घटना **Force-Majeure Condition** की श्रेणी में आती है तथा विपक्षी द्वारा किसी कार्य निष्पादन के मानक का उल्लंघन नही किया गया है इसके अतिरिक्त **UERC (Standard of Performance) Regulations, 2022 Schedule III (Guaranted Standards of Performance and Compensation to affected person in Case of Default)** के क्लाज 5 **Damage to consumer's apparatus due to voltage fluctuations [If apparatus of mor than one consumer in close neighbourhood are affected and subject to physical verification of the damaged apparatus by the Licensee within 72 hours followed by submission of documentary evidence by affected consumer with regard to expenses incurred on repair charges and its verification by the Licensee] In case of replacement or exchange of any damaged apparatus/ equipment with new one the compensation shall be limited to the extend of repair charges mentioned in this clause subject to the production of original bill and its verification by the Licensee** से स्पष्ट है कि एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा हाई वोल्टेज के कारण विद्युत उपकरण जलने की स्थिति में ही क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है। उक्त के संबंध में विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त क्षेत्र में किसी अन्य उपभोक्ता के मीटर अथवा घरेलू उपकरण क्षतिग्रस्त होने की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई, सम्भवता परिवादी के घर

की अर्थिंग न होने अथवा सही न होने के कारण घरेलू उपकरण क्षतिग्रस्त हुए होगें। अतः उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच इस मत का है कि उक्त वाद में परिवादी को क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाना तर्कसंगत एवं न्ययोचित नही होगा।

आदेश

उपरोक्त परिस्थिति उपरांत प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/01/2025 — 28.01.2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 65 / 2024

श्री राज कुमार भाटिया
निवासी– 899 / 3 / 4, कौलागढ रोड़,
होटल रतन पैलेस, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 30.01..2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complainant submits and prays as under:-

I am writing to formally express my deep dissatisfaction with the handling of my electricity billing account which has led to significant financial distress due to errors on the part of your department. Kindly refer to my bill no 28485230303000086 dated 03-03-2023 was issued a bill for Rs. 1,43,078 for the period 31-1-2023 to 28-02-2023 an outrageously excessive amount and clearly the result of a fault likely with the meter. Despite raising concerns, I was coerced into paying the above said amount by the department to disconnect the power supply if not paid,

with the understanding that this amount would be refunded. After this amount had been paid no action was taken and the wrong bills were given to me stating the RDF amount then once again in September the amount of 274323 was deposited because of thr threat of disconnection by your department the again and again a sum of Rs 45293,5074,17502,62959,50605,20081 total amount 675842/- (six lakh seventy five thousand eight hundred and fourty two) was deposited. To date, no such refund has been processed.

Further to this, after the faulty meter was identified and replaced on 18th October 2023, I met the J.E and accounting department who told me the bills was raised under the RDF average of the preceding three months were taken as the basis to issue the further bills. My concern was the three months taken as the basis for future bills were also miacalculated which led to the future bills being extra based on the wrong months in consideration. The miscalculation led to significant over charging, particularly when the average billing amount for the entire year of 2022 was only Rs 9,500 per month.The selection of inappropriate months for the average billing was clearly erroneous, and I was unfairly overcharged as a result. Despite finally changing the meter on 16th January 2024, the promised refund for the overcharges has not been fulfilled. Throughout this ordeal, I have been subjected to harassment, including threats of disconnection and the forcible removal of my meter , only to be billed on incorrect readings for a full year.

This situation is intolerable. The inaction and mishandling by your department have left me with no choice but to demand the immediate processing of the refund owned to me. Should this issue not be resolved promptly, I will have no alternative but to escalate this matter to the consumer court. I trust this matter will receive the attention it warrants, and that the refund will be processed without further delay.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 389, दिनांकित 07/09/2024 से मंच को अवगत कराया है कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड के कार्यालय पत्रांक सं0 4425 दिनांक 04.09.2024 के अनुपालन में मान्नीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के परिवाद सं0 65/2024, श्री राजकुमार भाटिया, निवासी– 899/3/4 कौलागढ़ रोड़, होटल रतन पैलेस की आख्या निम्नवत् है–

1.. उपभोक्ता का विद्युत संयोजन सं0 CD0K000021077 पर मीटर सं0 EL3308 स्थापित था।
2. उपभोक्ता द्वारा माह फरवरी 2023 में उपभोक्ता का मीटर की रीडिंग सामान्य से अत्याधिक पायी गयी थी। उपभोक्ता के मीटर की एम.आर.आई सम्भव नहीं हो पायी थी।
3. आई.डी.एफ. बिल पिछले एम0यू0 बिलों के औसत के आधार पर तैयार किये गये है, जिसमें माह फरवरी 2023 का बिल भी सम्मिलित है।
4. उपभोक्ता का मीटर जनवरी 2024 में बदल दिया गया है।
5. उपभोक्ता द्वारा माह जनवरी 2024 तक के बिलों का पूर्ण भुगतान किया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को बिल चक्र 03/2023 एवं 04/2023 में एन0ए0 के आधार पर विद्युत बिल

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

प्रेषित किये गये, इसके उपरांत 05/2023 से 12/2023 अर्थात् 08 विद्युत बिल चकों में आई0डी0एफ0 के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये जिस पर परिवादी को आपत्ति है। परिवादी की शिकायत के अनुसार उनके द्वारा खराब विद्युत मापक को बदलने के संबंध में विद्युत विभाग से अनुरोध किया गया, वावजूद उसके विद्युत विभाग द्वारा उनका खराब मीटर नही बदला गया जिस कारण उन्हें उपरोक्त अवधि में उन्हें एन0ए0/आई0डी0एफ0 के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये जिससे की उनकी वास्तविक विद्युत खपत दर्ज नहीं की गयी, जिस कारण उन्हें आर्थिक हानि हुई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा खराब मीटर को बदलनेमें लेट लतीफी बर्ती गयी है। यहॉ पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.1.3** के तहत खराब विद्युत मीटर को बदली जाने की प्रकिया तथा विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुअ मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा अपनी शिकायती पत्र के साथ मीटर खराब होने के संबंध में विपक्षी को प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न की है जो कि 04.10.2023 को विपक्षी के कार्यालय

में प्राप्त कराया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को 03/2023 से 12/2023 अर्थात् 10 विद्युत बिल चकों में एन0ए0/आई0डी0एफ0 में से UERC के वर्णित उपरोक्त विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें। शेष सभी 08 विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को प्रेषित 03/2023 से 12/2023 अर्थात् 10 विद्युत बिल चकों में एन0ए0/आई0डी0एफ0 में से UERC के वर्णित उपरोक्त विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें। शेष सभी 08 विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

30.1.2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30.01.2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 69 / 2024

श्री संजय प्रसाद कांण्डपाल
निवासी– ज्ञान स्टैण्ड स्कूल,
उमेदपुर, परवल, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 30.01.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके विद्युत संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि वर्ष 2023 में मेरे द्वारा विद्युत संयोजन संख्या MP11414889533 घरेलू श्रेणी में लिया गया था। उक्त तिथि से ही मुझे मेरी वास्तविक खपत के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे थे, जिसका की मेरे द्वारा नियमित भुगतान भी किया जा रहा था परन्तु 26.08.2024 को मुझे मेरी वास्तविक खपत से काफी अधिक 816 यूनिट का विद्युत बिल भेजा गया जिस पर की मुझे आपत्ति है। इससे पूर्व 05 माह में मुझे कोई विद्युत बिल प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे द्वारा स्वंय ही ऑनलाइन विद्युत बिल प्राप्त कर उसका भुगतान किया जा रहा था। विद्युत बिल समय पर उपभोक्ता को दिया जाना विद्युत विभाग का कर्तव्य है ऐसा न कर विभाग द्वारा UERC के विनियम का उलंघन किया गया है। अतः मंच से निवेदन है कि दिनांक 26.08.2024 प्रेषित बिल को UERC के नियमों के अनुसार संशोधित आदेश करने की कृपा करें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 654, दिनांकित 21/09/2024 से मंच को श्री संजय प्रसाद कांडपाल, निवासी ज्ञान आइंस्टीन स्कूल उमेदपुर, परवल द्वारा प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराया गया है–

बिन्दु संख्या 1:– उपभोक्ता के विद्युत बीजक दिनांक 16.03.2024 के पश्चात् प्रोविजनल बिल एन0आर0 के आधार पर निर्गत किये गये थे, जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा समय पर कर दिया गया है।

बिन्दु संख्या 2:– दिनांक 26.08.2024 को मीटर रीडर द्वारा उपभोक्ता की वास्तविक खपत के अनुसार तथा पूर्व में निर्गत किये गये प्रोविजनल बिलों एवं किये गये भुगतान का समायोजन करते हुए विद्युत बिल निर्गत कर दिया गया, विद्युत बिल में दर्शायी गई अवधि के अनुसार उपभोक्ता द्वारा दिनांक 16.03.2024 से दिनांक 26.08.2024 तक कुल 816 यूनिट की खपत की गई है जिसके अनुसार उपभोक्ता का लगभग 05 माह का विद्युत बिल 4124.00 रू0 बनता है तथा उपभोक्ता द्वारा इस मध्य जमा की गई धनराशि को समायोजित करतु हुए कुल 2673.00 रू0 की मांग की गई है जो कि उपभोक्ता द्वारा देय है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को बिल चक्र 04/2024 से 07/2024 तक कुल 04 बिल एन0आर0 के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये, इसके उपरांत एन0आर0 से एम0यू0 में बिलिंग करते हुए 816 यूनिट की बिलिंग की गयी, जिस पर परिवादी को आपत्ति है। उपरोक्त अवधि में उन्हें आई0डी0एफ0 के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये जिससे की उनकी वास्तविक विद्युत खपत दर्ज नहीं की गयी, जिस कारण उन्हें आर्थिक हानि हुई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बर्ती गयी है। यहॉ पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory** के विनियम **UERC (The**

Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 के विनियम **5.2.1 (2)** के तहत **The Licensee shall raise the for billing cycle based on actual meter reading** तथा विनियम 5.2.1 (7) में निम्नवत् उल्लेख किया गया है – **"Provisional billing (NA/NR/IDF/ADF/RDF billing based on average consumption) shall not be for more than two billing cycles. In case meter is rendersd inaccessible for two consecutive billing cycles, action as per clause (7) of Sub-regulationn 5.1.2 shall be enforced** उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को 04/2024 से 07/2024 तक कुल 04 बिल जो एन0आर0 के आधार पर प्रेषित किये गये है में से माह 06/2024 एवं 07/2024 के विद्युत बिल को निरस्त करें। उक्त निरस्त बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को प्रेषित 04/2024 से 07/2024 तक कुल 04 बिल जो एन0आर0 के आधार पर प्रेषित किये गये है में से माह 06/2024 एवं 07/2024 के विद्युत बिल को निरस्त करें। उक्त निरस्त बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर

प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30.01.2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30-01-2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 70/2024

श्री कुंवर सिंह पुत्र हरिया
ग्राम– सिमोग, पो0–कोटी
तहसील–कालसी, विकासनगर। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांकः 30.01.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद सामान्य खपत से अधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि घरेलू कनेक्शन मेरे घर पर लगा हुआ है, मेरा घरेलू कनेक्शन है जिसका विद्युत बिल जब भी आता है मैं समय से जमा करता रहा हूँ। वर्तमान में मेरा मीटर बहुत अधिक रीडिंग दिखा रहा है, जिस कारण मैने विद्युत वितरण डाकपत्थर को मीटर बदलने हेतु दिनांक 09.01.2024 को एक प्रार्थाना पत्र दिया था, परन्तु विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई फिर वर्तमान में 31.08.2024 तक का बिल मुझे 70013.00 (सत्तर हजार तेरह रू0) का भेजा है, जबकि मेरे घर पर मात्र 3–4 बल्ब जलते है, मैने फिर दिनांक 24.08.2024 को विभाग को प्रार्थाना पत्र दिया है कि मीटर खराब होने के कारण इतना अधिक बिल आ रहा है, परन्तु विभागीय कर्मचारियों द्वारा मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है न ही मेरे मीटर की जॉच कर मीटर बदला गया है। मै एक

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

गरीब किसान हूँ, मेरे ऊपर इतना अधिक बिल भेजने पर मैं इतना बिल भुगतान करने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि विभाग द्वारा मेरे मीटर को बदल कर सही रीडिंग का बिल भिजवाने की कृपा करे, तथा मेरे ऊपर भेजा गया गलत बिल (70,000) सत्तर हजार रूपये को निरस्त करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी सहायक अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 3814, दिनांकित 25/09/2024 से मंच को अवगत कराया है कि परिवाद सं0 70/2024 श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री हरिया, ग्राम– सिमोग पो0– कॉलोनी, कालसी, देहरादून के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है–

1. परिवादी का विद्युत संयोजन सं0 VN24324402353 दिनांक 29.03.2013को STN-11 LIFE LINE BELOW POVERTY CONSUMER श्रेणी में निर्गत किया गया था।
2. परिवादी की शिकायत विद्युत बीजक अधिक आने से सम्बन्धित है। जिसकी जांच करने पर पाया गया कि परिवादी का विद्युत बीजक पूर्व में आई0डी0एफ0 में चल रहा था। जिसमें माह अप्रैल 2024 में कुल रीडिंग 10106 पायी गयी। जिस कारण विद्युत बीजक अधिक धनराशि का आया।
3. परिवादी का विद्युत बीजक रू0 69245.00 से संशोधित कर रू0 45435.00 किया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को बिल चक्र 04/2014 से 02/2024 तक कुल 55 बिल आई0डी0एफ0 के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये, 04/2024 में (लगभग 10 वर्षो तक) 54 विद्युत बिल प्रेषित किये गये। इसके उपरांत आई0डी0एफ0 से एम0यू0 में बिलिंग करते हुए 9924 यूनिट की बिलिंग की गयी, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उन्हें उपरोक्त अवधि में आई0डी0एफ0 के आधार पर विद्युत बिल प्रेषित किये गये जिससे की उनकी वास्तविक विद्युत खपत दर्ज नहीं की गयी, जिस कारण उन्हें आर्थिक हानि हुई है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा खराब मीटर को बदलने में लेट लतीफी बर्ती गयी है। यहाँ पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.1.3** के तहत खराब विद्युत मीटर को बदली जाने की प्रकिया तथा विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुअ मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी द्वारा अपनी शिकायती पत्र के साथ मीटर खराब होने के संबंध में विपक्षी को प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न की है जो कि 09.01.2024 एवं 24.08.2024 को विपक्षी के कार्यालय में प्राप्त कराया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

को 04/2014 से 02/2024 (लगभग 10 वर्षो) तक प्रेषित कुल 54 विद्युत बिलों में से 52 विद्युत बिलों को मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें। शेष सभी 50 विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को प्रेषित 04/2014 से 02/2024 (लगभग 10 वर्षो) तक प्रेषित कुल 52 विद्युत बिलों की अवधि के सभी विद्युत बिलों को मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें। शेष सभी 50 विद्युत बिलों में फिक्स चार्ज लिया जाना सुनिश्चित करें। विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि 04/2024 में परिवादी को प्रेषित बिल यूनिट 9924 यूनिट के बिल को भी निरस्त करें एवं उक्त बिल को वर्तमान 03 मीटर यूनिट बिल चक्रों के औसत के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

30.1.2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30.01.2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739!
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 85 / 2024

श्री सुनील मोहन कश्यप
निवासी– सी–148, नेहरू कालोनी,
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 29.01.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complaint registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complaint submits and praysas under:-

At last we are giving a complaint against my excessive and high bill of consumption of my home. I am a middle clas person and it is not possible for me to deposit too much excessive bill. This letter was written to the Executive Engineer,UPCL, E.C. Road, Dehradun for reducing bill. But the order given to his subordinate officer (SDO) UPCL Araghar but he is saying this is correct and deposit the same. He is not ready to give me any relief. -So, I am giving a complaint for reduce the bill and justice. It is hope and confident to me your action in this matter will be justiable in favour of me. I am enclosing herewith the copy of letter

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

given to the Executive Engineer which isa self speaking, copy of highly and excessive bill and latest copy of bill. It is requested to please give me the justice so I may deposit the correct bill.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2230, दिनांकित 10/10/2024 से मंच को अवगत कराया है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (के0), 18 ई0सी0 रोड, देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 4878 न0वि0वि0ख0(के0)/दे0दून/राजस्व/उ0शि0नि0मं0 दिनांक 27.09.2024 के साथ संलग्नक मान्नीय मंच के पत्रांक सं0 251/उ0शि0नि0मं0/ग0क्षे0/फोरम दिनांक 25.09.2024 के अनुपालन में मान्नीय मंच को को अवगत कराना है कि उक्त संयोजन संख्या CD17112039090 के बिल वर्तमान में रीडिंग के अनुसार ही बने है तथा माह अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 का बिल मीटर Burnt होने के कारण पूर्व के औसत के आधार पर बना है। जिसकी बिल एवं कंज्यूमर हिस्ट्री की छायाप्रति संलग्न है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को 13.04.2024 से 31.07.2024 अर्थात् 109 दिनों में 03 कि0वा0 स्वीकृत भार पर 2831 यूनिट की विद्युत खपत दर्शायी गयी है। विपक्षी के अनुसार परिवादी द्वारा उक्त अवधि में 25.97 अर्थात 26 यूनिट प्रतिदिन की खपत की गयी है। मंच द्वार विपक्षी से जब उक्त खपत को तथ्यों/प्रमाण सहित प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तो मंच को अवगत कराया गया कि संयोजन सं0 CD17112039090 के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक की एम0आर0आई हेतु प्रस्तुत करने को कहा गया था, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत मापक की एम0आर0आई किया जाना सम्भव नही है, इस प्रकार विपक्षी 26 यूनिट प्रतिदिन की खपत को प्रमाण सहित प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है, 03 कि0वा0 स्वीकृत भार पर बिना प्रमाण के दर्शायी गयी 26 यूनिट प्रतिदिन की खपत को मंच स्वीकार नही कर सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के आधार पर बिल प्रेषित किये गये, परन्तु एकाएक बिल चक्र 07/2024 को एक ही बिल चक्र में 2831 यूनिट की विद्युत खपत को दर्शाया गया है जो कि मंच के मत में सम्भव नही है। विपक्षी द्वारा उक्त खपत को तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 31.07.2024 को प्रेषित विद्युत बिल को निरस्त कर उक्त विद्युत बिल को पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 04/2024, 03/2024 एवं 02/2024 क्रमशः (446 + 524 + 1538 /3 = 849.33 यूनिट) प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 31.07.2024 को प्रेषित विद्युत बिल को निरस्त कर उक्त विद्युत बिल को पूर्व की तीन बिल चक्रों की औसत खपत 04/2024, 03/2024 एवं 02/2024 कमशः (04/2024, 03/2024 एवं 02/2024 क्रमशः (446 + 524 + 1538 /3 = 849.33 यूनिट) प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/01/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

29-01-2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 112/2024

श्रीमती अमनदीप कौर
निवासी– पता कण्डौली,
अपर देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 22.01.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा नये विद्युत संयोजक में परिवर्तक की कीमत वापिस कराने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मेरे द्वारा 15 किलो वाट का नया विद्युत संयोजक लिया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 531180524001 है, मेरे से विद्युत लाईन की 200 मीटर की धनराशि रू0 4500/– प्रति 20 मीटर के हिसाब से 9,000/– रूपये दिये जाने थे, जबकि मेरे से 1,60,000/– रूपये लिये गये हैं, मेरे 70,000/– रू0 वापिस कराये जायें तथा 25 के0वी0ए0 परिवर्तक की धनराशि रूपये 1,50,000/– भी गलत लिये गये हैं, जो यू0ई0आर0सी0 के

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

नियम के अनुसार गलत धनराशि जमा करायी गयी। अतः आपसे अनुरोध है कि परिवर्तक की धनराशि 1,50,000/– रूपये तथा लाईन की धनराशि 70,000/– रूपये वापस करायें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 4661, दिनांकित 11/12/2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्रीमती अमनदीप कौर पत्नी श्री जीवन सिंह द्वारा दिनांक 18.05.2024 को एक आवासीय विद्युत संयोजन 15 किलोवाट का ग्राम कंडोली के लिये आवदेन किया गया था जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 531180524001 था, क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण के समय पाया गया कि आवेदित भवन में व्यावसायिक प्रयोग के लिए निर्मित किया जा रहा था, जिसमें भूतल पर एक संयुक्त रसोई तथा पहले, दूसरे तथा तीसरे तल पर 2–2 नग फ्लैट बने हुए है जिसमें तीन–तीन कमरे निर्मित है अर्थात कुल 06 फ्लैट का निर्माण किया गया है तथा उनको व्यावसायिक उपयोग (किराये हेतु) के लिये बनाया गया है, क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित आवदेनकर्ता से आवेदित विद्या को आवासीय से व्यावसायिक करने हेतु सूचित कर दिया गया था, परिसर के स्वीकृत नक्शा आवेदनकर्ता से मागे जाने पर उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके पश्चात् क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा क्षेत्रफल के गणना के पश्चात् पाया गया कि संयोजन हेतु 25 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित करना आवश्यक है जिसका प्रस्ताव उनके द्वारा आवेदनकर्ता को भेज दिया गया था तथा भार स्वीकृती के पश्चात् आवेदनकर्ता द्वारा स्वेच्छा से वॉछित धनराशि दिनांक 28.06.2024 को जमा करा दी गयी, उस समय उनके द्वारा कोई विरोध प्रकट नहीं किया गया जिसके पश्चात् परिवर्तक स्थापित कर उनका संयोजन दिनांक 28.06.2024 को अवमुक्त कर दिया गया था। वर्तमान में 06 फ्लैट में

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

से 03 फ्लैट ही उपयोग में है तब भी संयोजन की Max demand 16.38 KW आ रही है जिससे यह प्रतीत होता है कि उपभोक्ता की वास्तविक demand 33 KW से ज्यादा है, जिसके लिये 63 के0वी0ए0 का परिवर्तक लगाया जाना ही उचित होगा।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने आर0टी0एस0 2 क्षेणी हेतु ही 15 KW विद्युत संयोजन का आवेदन किया था न कि आवासीय संयोजन का, जैसा कि विपक्षी द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.12.2024 में उल्लेख किया गया है जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा सम्पूर्ण जांच के उपरान्त 15 KW व्यवसायिक संयोजन HVDS प्रणाली के माध्यम से निर्गत किया गया तथा रू0 336500.00 की धनराशि जमा करायी गयी जिसमें ओवर हैडलाइन चार्जेज रू0 1,60,000, प्राक्लन चार्जेज़ रू0 1,50,000 , प्रतिभूति चार्जेज रू0 22500 तथा सर्विस लाईन चार्ज रू0 4000 सम्मलित थे। **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 2.1(4) की तालिका 2.1 **Classification of supply on the basis of contracted load/demand and voltage** के क्रम सं0 **(ii)** के अनुसार परिवादी का 15 कि0वा0 विद्युत संयोजन 400V – 3 फेज पर निर्गत किया जाना था न कि HVDS प्रणाली के माध्यम से। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत मंच का मत है कि विपक्षी, परिवादी को विद्युत संयोजन

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

संख्या MP0K0009304611 के सापेक्ष प्रेषित मांग पत्र जिसका भुगतान परिवादी द्वारा रू0 336500.00 रसीद संख्या 349782806240202001 के द्वारा किया जा चुका है को उपरोक्त वर्णित माननीय् **UERC** के विनियम के अनुसार संशोधित प्राक्कलन निर्गत करें जिसमें ट्रांसफार्मर के लिए ली गई धनराशि सम्मलित न की जाये तथा नियमानुसार ओवर हैड लाईन चार्जेज ही लिये जाये जो कि तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **(2.1) (4)** की तालिका **2.1 Classification of supply on the basis of contracted load/demand and voltage** के क्रम सं0 **(ii)** के अनुसार परिवादी के 15 कि0वा0 विद्युत संयोजन 400V-3 फेज पर निर्गत किया जाये तथा वणि... UERC के विनियम UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 के उपविनियम 3.3.3 की तालिका 3.5 के अनुसार ही परिवादी से सर्विस लाईन चार्जेज, ओवर हैड लाईन चार्जेज, प्रारंभिक प्रतिभूति चार्जेज ही लिये जाएं। इसके अतिरिक्त यह भी

स्पष्ट है कि उपरोक्त विनियम के उपविनियम 3.3.1(3) के द्वितीय परंतुक के प्रविधानो के अनुसार अगर कोई उपभोक्ता HVDS के माध्यम से 25 कि0वा0 तक के भार के लिये संयोजन लेने की इच्छा रखता हो तब केवल उसी परिस्थिति में वितरण अनुशप्तिधारी उसका 25 कि0वा0 तक का संयोजन HVDS के माध्यम से निर्गत कर सकता। तत्काल याचिका में प्रस्तुत तथ्यों/दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी से इस सम्बन्ध में कोई पूर्व सहमति प्राप्त नही हुई। मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रस्तुत प्राक्कलन मान्नीय UERC के विनियमों के विपरीत है तथा परिवादी से अधिक धनराशि वसूली गई है। मंच विपक्षी को आदेशित करता है कि विपक्षी परिवादो को 15 कि0वा0 संयोजन हेतु अनुमन्य संशोधित प्राक्कलन निर्गत करे तथा उपरोक्त विनियमों का उल्लघन कर परिवादी से वसूली गई अधिक धनराशि को लौटाया जाना सुनिश्चित करें। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के अंतर्गत मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

22/01/25
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

22/01/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

22-01-2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 124/2024

Shri. Kishan Singh Rawat **V/s** **Executive Engineer, EDD, (South) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 27.01.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 16.01.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी उपस्थित है। विपक्षी द्वारा पस्स्तुत आख्या पत्रावाली के पेज संख्या 5 में पत्रावली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके द्वारा विवाहा समारोह हेतु अस्थाई संयोज लिया गया था, जिसके लिए उनके द्वारा जमानत धनराशि जमा करोई गई थी, समारोह उपरान्त उनके द्वारा कई बार शेष धनराशि प्राप्त करने हेतु विपक्षी के कार्यालय से संपर्क किया परन्तु विपक्षी द्वारा 45 दिनों से अधिक समय तक भी उन्हें उनकी जामानत धपराशि नहीं लौटाई गई अतः मंच से निवेदन है कि उक्त धनराशि अतिशीघ्र लौटाए जाने हेतु विद्युत विभाग को आदेश पारित करने की कृपा करें

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 906 दिनांकित 15.01.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि आवदेक द्वारा जमानत धनराशि वापसी हेतु चैक सं0 4000937 दिनांक 15.01.2025 को निर्गत किया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/01/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/01/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

27/01/25
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 131/2024

M/S Laxmi Naryan Mandir **V/s** **Executive Engineer, EDD, (Raipur) D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 27.01.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 31.12.2024 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी उपस्थित है। विपक्ष द्वारा पस्स्तुत आख्या पत्रावाली के पेज संख्या 7–9 तक पत्रावली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर का विद्युत संयोजन वाणिज्यिक श्रेणी में पंजीकृत किया गया जबकि मन्दिर समिति द्वारा कई बार संयोजन श्रेणी परिवर्तन हेतु विद्युत विभाग से आग्रह किया गया था, बावजूद आज ति तक भी उनके द्वारा मंदिर के संयोजन की श्रेणी परिवर्तित नहीं की गई है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग व संयोजन की श्रेणी परिवर्तित करनें हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 2704 दिनांकित 30.12.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर समिति का व्यवसायिक विद्युत संयोजन को आरटीएस–1 घरेलू में परिवर्तित करने के लिए आवेद किया गया था, जिसके उपरान्त आपके निर्देशानुसार उक्त विद्युत विद्युत संयोजन की श्रेणी परिवर्तित कर घरेलू कर दी ग है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या से स्पष्ट कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं र जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/01/2025 — (दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

27/01/25 — (रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

27-01-25 — (त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य